न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 1314 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 तुलछाराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी करड़ानाडा, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर।		1 जोगाराम 2 दीपाराम 3 पूराराम 4 जालाराम 5 पनाराम पिसरान वीरमाराम 6 धर्माराम 7 जोगाराम 8 नवलाराम पिसरान गंगाराम जाति जाट निवासी करडानाडा, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर 9 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा चवा 10 शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा कुड़ला 11 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री सुरेश चौधरी वकील प्रार्थी।
2 श्री वीरमाराम चौधरी वकील अप्रार्थी संख्या 01, 03, 04 व 06।
3 श्री नृसिंह सोलंकी, अप्रार्थी संख्या 10।

आदेश

दिनांक 11.07.19

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा करडानाडा पटवार क्षैत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1307 रकबा 164.03 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थी की रहवासी ढाणी टांके व मवेशियों के बाड़े इत्यादी बने हुए है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 08 के खेत खसरा नम्बर 1687 / 1308 रकबा 24.00 बीघा व खसरा नम्बर 1305 रकबा 52.08 बीघा में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी उपवर्णित भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य सहखातेदार भी अभिलेख पर है, परन्तु प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो पोषणीय नही है। न्याय की मंशा परस्पर समझोता कर रास्ता कायम करने की है। प्रार्थी द्वारा परस्पर समझोता का कोई प्रयास नही किया गया है। आवेदन खारिज योग्य है।

तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने आवेदन दिनांक 15.07.2019 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य सहखातेदार भी अभिलेख पर है, परन्तु प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो पोषणीय नही है। न्याय की मंशा परस्पर समझोता कर रास्ता कायम करने की है। प्रार्थी द्वारा परस्पर समझोता का कोई प्रयास नही किया गया है। आवेदन खारिज योग्य है। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि न्याय की मंशा रास्ता उपलब्ध करवाने की है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। आवेदन पत्र में दर्शाये गये रास्ते के अलावा कोई रास्ता नही है। प्रस्तुत आवेदन पत्र विधि समत है। अप्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तुत रास्ते हेतु आवेदन विधि समत है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भू.अ. / 2019 / 1701 दिनांक 03.06.2019 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई। मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि आवेदन खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 06 उपस्थित हुए शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा उक्त रास्ते के सम्बन्ध में आने–जाने हेतु न्यूनतम मार्ग की जांच करने पर पाया गया कि प्रार्थी के खसरा तक पहुचने हेतु खसरा संख्या 1287/1308 व 1305 की सीमा लगती है। उक्त खसरा संख्या 1305 कुल रकबा 52.08 बीघा में से 0.04 बीघा भूमि की रास्ते हेतु आवश्यकता रहेगी जिसकी डीएलसी दर की दुगुनी राशि 17611.20 रू तथा खसरा संख्या 1687/1308 कुल रकबा 24.00 बीघा में से 0.04 बीघा भूमि की रास्ते हेतु आवश्यकता रहेगी, जिसकी डीएलसी दर की दुगुनी राशि 17611.20 रू. बनती है। खसरा संख्या 1305 के खातेदारों द्वारा खसरा संख्या 1307 तक आने–जाने हेतु निःशुल्क भूमि देने की सहमति प्रकट की।

उभय पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग इस खेत में जाने के लिए नही है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के मद्देनजर आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा करडानाडा पटवार क्षैत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1307 रकबा 164.03 बीघा भूमि से सरकारी मार्ग हेतु जिसका क्षैत्रफल 0.08 बीघा है, जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग हरा दर्शाया है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि 35222.40 रू बनती है परन्तु खसरा संख्या 1305 के खातेदारान द्वारा रास्ते हेतु निर्धारित राशि 17611.20 रू. की भूमि निःशुल्क देने की सहमति प्रकट की है। अतः शेष राशि 17611.20 रू. प्रार्थी राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी जोगाराम, दीपाराम, पूराराम, जालाराम, पनाराम पिसरान वीरमाराम जाति जाट निवासी करडानाडा बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास में सुनाया गया।

बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक ...11.07.19... को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

Scanned by CamScanner